18/1/23	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी सं० 1 व 2 के हलफनामे करवाये। वादीगण एवं अधिवक्ता उपस्थित। पेश शुदा वाद पत्र में अंकित कि आवेदिका में अंकित विषय में, कि उक्त वाद पत्र उनके पति चौधरमल बनाम मालू मिश्रमल वगैरह को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। दावा withdraw करने हेतु निवेदन किया अतः दावा वादीगण इसी स्टेज में स्वयं किया जाता है। पत्रावली नस्ती में रख दी कर खारिज दफ्तर हो। खारजा लगाया जाये।

मैं यह दावा आगे नहीं चलाना चाहता हूँ
राजा बिहारीलाल
किया जाये
चौधरमल
18-1-23

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
फलासना बिलाकोटा (भ.जो)